

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई 2020—श्रावण 9, शक 1942

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (DUDA), जिला सीधी, मध्यप्रदेश

सीधी, दिनांक 6 जुलाई 2020

अधि. क्र. 220-DUDA-2020.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 (2) (एक) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री नीरज कुमार मिश्रा S/o शीलाध्वज मिश्रा, निर्वाचित पार्षद, वार्ड क्र. 13, नगर परिषद् मझौली का नेशनल हेल्थ मिशन इमरजेन्सी डियुटी COVID-19 में तीन महीने की अस्थायी नियुक्ति हो जाने के कारण पार्षद पद से दिये गये त्यागपत्र के वास्तविकता का समाधान होने के उपरान्त कार्यालयीन आदेश क्र. 214, दिनांक 4 जुलाई 2020 से स्वीकार करते हुए, एतद्वारा, नगर परिषद् मझौली, जिला सीधी के वार्ड क्रमांक 13 (तेरह) को रिक्त घोषित करता हूँ.

रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर.